



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpcfddevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0ब0-39/2015- 1083

दिनांक : 08.10.2015

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोर एरिया व्याघ्र परियोजना, पलामू/
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बफर एरिया व्याघ्र परियोजना, पलामू,

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्रीय योजनागत योजना "प्रोजेक्ट टाईगर पलामू" (शत प्रतिशत केन्द्रीय योजना) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-56/2015-36/स्वी0 व0प0 दिनांक 22.09.2015 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0ब0- 56/2015-64/आ0 व0प0 दिनांक 05.10.2015 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष- 110 वन्य जीव परिरक्षण, उप शीर्ष- 08 पलामू व्याघ्र योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 119.441 लाख (एक करोड़ उन्नीस लाख चौवालीस हजार एक सौ रुपये)** मात्र का आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई (राशि लाख में)

मजदूरी	69.201	(उनहत्तर लाख बीस हजार एक सौ रुपये)
आपूर्ति एवं सामग्री	50.240	(पचास लाख चौबीस हजार रुपये)

कुल :- 119.441 (एक करोड़ उन्नीस लाख चौवालीस हजार एक सौ रुपये)

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत्यादेश के परिशिष्ट-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनु0-2 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- पी0 19S240602110080103 तथा पी0 19S240602110080323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. फ्लेक्सी फण्ड के लिए स्वीकृत राशि का व्यय राज्य स्तरीय समिति से काय योजना पारित करने के उपरान्त ही किया जायेगा। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन फ्लेक्सी फण्ड से संबंधित मार्गदर्शिका दिनांक 06.01.2014 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारी यथा मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, डालटेनगंज द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

7. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

8. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जाएगी।

9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय कोषागार संहिता के नियम सं0-300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के अंतर्गत भारत व्यय को वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस निर्धारित बजट शीर्ष में उपबंधित राशि के अंतर्गत आवंटित राशि तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा वास्तविक रूप से विमुक्त राशि के अंतर्गत सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 4000 दिनांक 31.10.2011 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-4000 दिनांक 31.10.2011 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उनके लिए निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों में विचलन न हों।

14. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व विस्तृत कार्य योजना एवं इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. इस योजना के अंतर्गत वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संवर्द्धन के कार्यों का सम्पादन ईको डेवलपमेंट समितियों के सहयोग से किया जायेगा।
17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से किया जायेगा।
18. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 4-1 (16)/2015 पी0टी0 दिनांक 22.06.2015 द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यों का सम्पादन किया जायेगा।
19. स्वीकृत्यादेश में निहित समस्त दिशा-निर्देशों का ससमय अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-39/2015-1083 दिनांक- 08.10.2015

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/
मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, डालटेनगंज/
एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2015-16 में केन्द्र प्रायोजित योजना "प्रोजेक्ट टाइगर पलामू योजना" (शत-प्रतिशत) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

अनावर्तक व्यय (शत प्रतिशत)


क्र०सं 0	कार्य विवरणी	कार्य स्थल	इकाई	संख्या/ युनिट	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम								
					वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोर एरिया, ब्याघ्र परियोजना, पलामू।			वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बफर एरिया, ब्याघ्र परियोजना, पलामू।			कुल		
					कुल	भजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल	भजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	अवैध शिकार का रोकथाम												
(क)	स्ट्राइक फोर्स की स्थापना पर व्यय।	कोर क्षेत्र	बल		16.320	16.320	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	16.320	
(ख)	टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना पर व्यय।	कोर क्षेत्र	Section	2	10.360	9.290	1.070	10.361	9.290	1.071	1.071	20.721	
					कुल:-	26.680	25.610	1.070	10.361	9.290	1.071	37.041	
2	प्राकृतिक पर्यावास का विकास एवं जल संरचनाओं का निर्माण।												
(क)	शाकाहारी वन्य जन्तुओं की संख्या में वृद्धि हेतु In-situ Conservation के तहत Rescue & release Centre का निर्माण।	कोर क्षेत्र	संख्या	1	0.000	0.000	0.000	40.000	25.000	15.000		40.000	
i.	इनक्लोजर के अन्दर सीमेन्टेड वाटर टूफ का निर्माण।	कोर क्षेत्र	टूफ	4	0.000	0.000	0.000	0.800	0.320	0.480		0.800	
ii.	इनक्लोजर के अन्दर नये घास मैदान का विकास।	कोर क्षेत्र	हे0	2	0.000	0.000	0.000	1.400	0.560	0.840		1.400	
iii.	पेट्रोलिंग चौकी का निर्माण।	कोर क्षेत्र	चौकी	1	0.000	0.000	0.000	4.000	3.321	0.679		4.000	
iv.	शाकाहारी वन्य जन्तुओं को रांची से बारेसाद तक ट्रांसलोकेशन पर होने वाले व्यय।	कोर क्षेत्र			0.000	0.000	0.000	2.500	2.500	0.000		2.500	
v.	ट्रांसलोकेशन के पूर्व शाकाहारी वन्य जन्तुओं का स्वास्थ्य परिक्षण पर व्यय।	कोर क्षेत्र			0.000	0.000	0.000	1.000	0.400	0.600		1.000	
vi.	शुरुआती दिनों में कृत्रिम भोजन की व्यवस्था पर व्यय।	कोर क्षेत्र			0.000	0.000	0.000	0.500	0.200	0.300		0.500	
vii.	झुण्ड पृथकरण एवं स्वास्थ्य परिक्षण।	कोर क्षेत्र			0.000	0.000	0.000	0.500	0.200	0.300		0.500	
					कुल:-	0.000	0.000	0.000	50.700	32.501	18.199	50.700	

(Handwritten Signature)

क्र०सं 0	कार्य विवरणी	कार्य स्थल	इकाई	संख्या/ युनिट	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम							
					वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोर एरिया, ब्याघ्र परियोजना, पलामू।			वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बफर एरिया, ब्याघ्र परियोजना, पलामू।			कुल	
					कुल	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	शोध एवं क्षेत्रीय उपकरण											
(क)	Ivth phase Tiger Survey, Monitoring including carrying out 8 protocol, printing of forms, data compilation, photo folder, engagement of additional labourers.	कोर क्षेत्र	आकलन		1.250	0.500	0.750	1.250	0.500	0.750	2.500	
(ख)	M-STripES विधि से वन्यप्राणियों का अनुश्रवण। (जी०पी०एस० का क्रय।)	कोर क्षेत्र	अनुश्रवण		2.100	0.000	2.100	2.100	0.000	2.100	4.200	
(ग)	फील्ड गियर, डिजिटल कैमरा इत्यादि उपकरण पर व्यय।	कोर क्षेत्र	उपकरण		2.000	0.000	2.000	2.000	0.000	2.000	4.000	
(घ)	वन्यप्राणियों का आकलन, विश्लेषण, डाटा निर्माण एवं पी०आई०पी० निर्माण।	कोर क्षेत्र	आकलन		0.750	0.300	0.450	1.250	0.500	0.750	2.000	
(ङ)	कैमरा ट्रेप का क्रय।	कोर क्षेत्र	कैमरा	100	19.000	0.000	19.000	0.000	0.000	0.000	19.000	
			कुल:-		25.100	0.800	24.300	6.600	1.000	5.600	31.700	
			महाकुल:-		51.780	26.410	25.370	67.661	42.791	24.870	119.441	

सारांश (राशि लाख ₹० में)

प्रथमिक इकाई	कुल	कोर एरिया	बफर एरिया
मजदूरी	69.201	26.410	42.791
आपूर्ति एवं सामग्री	50.240	25.370	24.870
कुल:-	119.441	51.780	67.661


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

वार्षिक वित्तीय वर्ष 2015-16 में वन्य हेतु निम्नलिखित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-39/2015/1083

दिनांक - 08-Oct

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240602110080103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 02 . परिवारणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110 . वन्य जीव परिरक्षण 08 . पलामू व्याघ्र योजना के अन्तर्गत अनार्क्षिक व्यय 01 . वेतन एवं भौ. 03 . मजदूरी	67309	PLMFOR069 ANIL KUMAR MISHRA DFO.CORE.AREA.TP. EDININAGAR	2,641,000.00 रुपये छब्बीस लाख इकतासी हजार
2	S 19 240602110080103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 02 . परिवारणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110 . वन्य जीव परिरक्षण 08 . पलामू व्याघ्र योजना के अन्तर्गत अनार्क्षिक व्यय 01 . वेतन एवं भौ. 03 . मजदूरी	67313	PLMFOR068 MAHALING DFO.BUFFAR.AREA.TP. MEDININAGAR	4,279,100.00 रुपये बयालीस लाख उन्नासी हजार एक
3	S 19 240602110080323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 02 . परिवारणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110 . वन्य जीव परिरक्षण 08 . पलामू व्याघ्र योजना के अन्तर्गत अनार्क्षिक व्यय 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	67320	PLMFOR069 ANIL KUMAR MISHRA DFO.CORE.AREA.TP. EDININAGAR	2,537,000.00 रुपये पच्चीस लाख सैतीस हजार

योग: 9,457,100.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये चौरानवे लाख सत्तावन हजार एक सौ

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDL.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपन्न कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240602110080323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 02 . पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110 . वन्य जीव परिरक्षण 08 . फलामू व्याघ्र योजना के अन्तर्गत अनार्वाक व्यय 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	67321	PLMFOR068 MAHALING DFO.BUFFAR.AREA.T .MEDININAGAR	2,487,000.00 रुपये चौइस लाख सित्तासी हजार



2,487,000.00

योग:

11,944,100.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड उन्नीस लाख चत्वारसीस हजार एक सौ

(SHRILY.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDL.PCCF.DEV.JHARKHAND